

प्राचार्य कार्यालय  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिसूचना संख्या – 3375 दिनांक – 03.08.2018 के निदेशानुसार अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से परीक्षा शुल्क के अन्तर्गत Local Levy के रूप में लिया जाने वाला राशि अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को स्थानान्तरित नहीं करना है तथा उस राशि को प्राचार्य के अधीनस्थ सरकारी खाता में ही रखना है एवं उस राशि का उपयोग Practical/ Viva Examination में आने वाले External/Internal Examiner के टी0ए0 /डी0ए0 के भुगतान हेतु किया जाना है ।

विदित हो कि Practical/ Viva Examination में आने वाले External/Internal Examiner के टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय से अलग से राशि आवंटित नहीं किया जाएगा ।


ह0/-  
प्राचार्य  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर


ज्ञापांक:- 2806/18

दिनांक:- 22-12-18

प्रतिलिपि:-

- 1) Registrar, AKU, Patna for information & needful action.
- 2) Controller of Examination, AKU, Patna for information & needful action.
- 3) Busrar / Accountant, S. K. Medical College, Muzaffarpur for information & needful action.
- 4) Estate Officer / OSD, Admission I/c / Examination I/c , S. K. Medical College, Muzaffarpur for information.
- 5) Student Section, S. K. Medical College, Muzaffarpur for information & needful action.
- 6) College Website.

  
प्राचार्य  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

  
22/12/18